न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 73/2018

दायर तारीख :– 11-10-2018

1. गीता देवी पत्नि बजरंग सिंह
2. विमलेश देवी पत्नि बाबू सिंह
3. निर्मला देवी पत्नि विक्रम सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी बेलनी तहसील बहरोड जिला अलवर हाल निवासी मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवर सिंह
2. किशन सिंह
3. प्रभू सिंह

पुत्रान उमराव सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी मैड़ तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

4. भंवरलाल पुत्र महादेव
5. भौरा पुत्र घीसा
6. केशरी बेवा महादेव
7. पांच्या पुत्र बल्लू

समस्त जाति गुर्जर निवासी असवाल पेट्रोल पम्प के पीछे मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर, जिला जयपुर।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी भूमि सीमांकन

उपस्थित : श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थीगण
एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 29.12.2020

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम मैड़ के खसरा नम्बर 2409/0.56 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2347/0.05, 2348/0.27, 2349/0.68, 2419/0.60 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2340/0.95, 2408/0.05 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.00 हैक्टेयर तथा 2342/0.04, 2343/0.09, 2344/0.07, 2345/0.06, 2346/0.04, 2410/0.21, 2411/0.08, 2412/0.01 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 0.60 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2070–2073 है। यह है कि आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण कि खातेदारी काश्त कि भूमि है, जिसको प्रार्थीगण ने अलग–अलग खातेदारों से जरिये विक्रय पत्र खरीद की थी, जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त व उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करती आ रही है। यह है कि प्रार्थीगण ने अपने नाम दर्ज खातेदारी भूमि

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

के लिए तहसीलदार विराटनगर के आदेश क्रमांक : भू.अ./2018/1097 दिनांक 12.04.2018 की पालना में दिनांक 30.05.2018 को सीमाज्ञान करवा लिया है। यह है कि प्रार्थीगण कि खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2344, 2345, 2346, 2347 के उत्तरी सीमा में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नंबर 2388 लगती हुई है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2342, 2343 का दक्षिणी सीमा अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 7 की खातेदारी भूमि 2341 से लगती हुई है, में अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की सीमाओं व डोल को आये दिन तोडते रहते है व पूर्व में कराये गए सीमाज्ञान को मानने से इनकार करते रहते है, जिससे प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने में परेशानी व बाधा उत्पन्न होती रहती है। इस कारण प्रार्थीगण की भूमि पर स्थाई सीमाचिन्ह स्थापित करना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम मैड़ के खसरा नम्बर 2409/0.56 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2347/0.05, 2348/0.27, 2349/0.68, 2419/0.60 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2340/0.95, 2408/0.05 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.00 हैक्टेयर तथा 2342/0.04, 2343/0.09, 2344/0.07, 2345/0.06, 2346/0.04, 2410/0.21, 2411/0.08, 2412/0.01 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 0.60 हैक्टेयर पत्थरगढ़ी की जाकर स्थायी सीमा चिन्ह स्थापित किया जावें दौराने पत्थरगढ़ी पुलिस जाप्ता उपलब्ध करवाने की आज्ञा प्रदान करें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थीगण की तल्बी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 सम्यक् तामिल अनुपस्थित रहे, इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम मैड़ खाता संख्या 982 संवत् 2070–2073, नकल जमाबन्दी ग्राम मैड़ खाता संख्या 754 संवत् 2070–2073, नकल जमाबन्दी ग्राम मैड़ खाता संख्या 755 संवत् 2070–2073, नकल जमाबन्दी ग्राम मैड़ खाता संख्या 671 संवत् 2070–2073, नक्शा ट्रेस ग्राम मैड़, नकल मौका फर्द सीमाज्ञान 30.05.2018 आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम मैड़ के खसरा नम्बर 2409/0.56 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.56 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 2347/0.05, 2348/0.27, 2349/0.68, 2419/0.60 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.60 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 2340/0.95, 2408/0.05 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.00 हैक्टेयर तथा 2342/0.04, 2343/0.09, 2344/0.07, 2345/0.06, 2346/0.04, 2410/0.21, 2411/0.08, 2412/0.01 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 0.60 हैक्टेयर प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

चाहते है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क रहा कि मौके पर अन्य खातेदार प्रार्थीगण की आराजी की सीमा–डोल तोडते हैं, जबकि अन्य किसी का, प्रार्थीगण की आराजी से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थीगण ने अपने नाम दर्ज खातेदारी भूमि के लिए तहसीलदार विराटनगर के आदेश क्रमांक : भू.अ./2018/1097 दिनांक 12.04.2018 की पालना में दिनांक 30.05.2018 को सीमाज्ञान करवा लिया है। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।

6. प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीगण की वर्णित भूमि वाके ग्राम मैड़ के खसरा नम्बर 2409/0.56 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.56 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 2347/0.05, 2348/0.27, 2349/0.68, 2419/0.60 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.60 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 2340/0.95, 2408/0.05 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.00 हैक्टेयर तथा 2342/0.04, 2343/0.09, 2344/0.07, 2345/0.06, 2346/0.04, 2410/0.21, 2411/0.08, 2412/0.01 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 0.60 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज 29.12.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)